संचिका सं0-वि0ले0-04-07/2013........./वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

शिव नारायण झा,
उप सचिव (लेखा)

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–

विषय :- वित्त विभाग के अधीन विभागीय भवनों/परिसरों की सफाई हेतु एजेंसी चयन के निमित निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के अधीन विभागीय भवनों/परिसरों की सफाई हेतु एजेंसी चयन के निमित निविदा सूचना के प्रकाशन के निमित निविदा सूचना की 5 हार्ड कॉपी एवं 1 सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुरोध है कि संलग्न निविदा सूचना को अधिकाधिक राष्ट्र/राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था कृपा शीघ्र की जाय ।

अनुलग्नक- यथोपरि ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शिव नारायण झा)
उप सचिव (लेखा)

ज्ञापांक सं0-**वि0ले0-04-07/2013**...8371.../वि0 पटना, दिनांक- 25.10.16

प्रतिलिपिः- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि संलग्न निविदा सूचना को वित्त विभाग के बेवसाईट पर Tender Heading के अन्तर्गत शीघ्र अपलोड करने की कृपा की जाय ।

25/10/16

(शिव नारायण झा)
उप सचिव (लेखा)

20-10-2016

बिहार सरकार
वित्त विभाग

-:: निविदा सूचना ::-

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालय भवनों/परिसरों की सफाई कार्य श्रमिक संविदा के आधार पर कराने के निमित मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है । मुहरबंद निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 23.11.2016 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथो हाथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जाएगा । प्राप्त निविदाओं को दिनांक- 25.11.2016 के अपराह्न 3 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है । निविदा के संबंध में आवश्यक सूचनायें एवं प्रमुख शर्त्ते वित्त विभाग के वेबसाइट **http://finance.bih.nic.in** पर या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है ।

25/10/16

(शिव नारायण झा)
सरकार के उप सचिव ।

20-10-2016

वित्त विभाग के भवनों/परिसरों की सफाई संबंधी आवश्यक सूचनायें

1. वित्त विभाग के अधीन सफाई हेतु भवनों/परिसरों की सूची:-

(i)वित्त (सांस्थिक वित्त) वित्त, विभाग कार्यालय एवं लोक उद्यम ब्यूरो कार्यालय, ललित भवन, बेली रोड, पटना (ii)वित्त विभाग के वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग (ट्राजिस्ट होस्टल, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना) (iii) वित्त मंत्री का आवासीय कार्यालय एवं परिसर (iv) प्रधान सचिव, वित्त का आवासीय कार्यालय एवं परिसर ए-3/4 आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड पटना (v) सचिव (संसाधन) वित्त का आवसीय कार्यालय एवं परिसर बी-3/16 ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना (vi) सचिव (व्यय), वित्त का आवासीय कार्यालय एवं परिसर बी3/32 ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना (vii) मुख्य सचिवालय परिसर स्थित चालकों के विश्राम गृह बाथरुम सहित (viii) निगरानी शाखा (प्रशाखा-11) वित्त विभाग ।

2. निविदा की प्रमुख शर्त्तें:-

(i) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा ।

(ii) क्लिनिंग एजेन्सी/संस्थान को भारतीय श्रम नियम के तहत बिहार सरकार के अन्तर्गत निबधिंत होना अनिवार्य है ।

(iii) क्लिनिंग एजेन्सी/संस्थान को सेवा कर एवं व्यावसायिक कार्य का निबंधन अनिवार्य होगा ।

(iv) एजेन्सी/संस्थान द्वारा विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

(v) सफाई कार्य का दर वर्गफूट के आधार पर मान्य होगा सफाई की दर भीतरी परिसर एवं बाहरी परिसर का अलग-अलग निविदा में उल्लेख करना होगा ।

(vi) उक्त कार्यालय/आवासीय कार्यालय एवं परिसर का स्थान परिवर्तित होने अथवा नये कार्यालय जुड़ने पर भी सफाई कार्य उसी शर्त्तो के अधीन करना होगा ।

(vii) कक्षों एवं कमरों की झोल की सफाई प्रतिदिन करनी होगी ।

(viii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, खास एवं बाथरुम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

(ix) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अन्तिम तारीख को संबंधित कार्यालय से सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरान्त भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा ।

(x) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करा कर मुख्य अवधायक के पास जमा करनी होगी ।

(xi) सफाई करने का जो भी दर निर्धारित किया जायेगा, वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक के लिए प्रभावी होगा । वित्त विभाग चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है ।कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में वित्त विभाग संविदा को समाप्त कर सकती है ।

(xii) यदि चयनित एजेंसी के सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी । यदि हरजाने की भरपाई चयनित एजेंसी द्वारा नही की जाती है, तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग चयनित एजेंसी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हजनि की राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी ।

(xiii) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार वित्त विभाग को सुरक्षित होगा ।

25/10/16

(शिव नारायण झा)
सरकार के उप सचिव ।